



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052023-245821
CG-DL-E-11052023-245821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]
No. 286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2023/वैशाख 21, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2023/VAISAKHA 21, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सा.का.नि. 358(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, मात्स्यिकी विकास आयुक्त समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में मात्स्यिकी विकास आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन विभाग, मात्स्यिकी विकास आयुक्त (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मात्स्यिकी विकास आयुक्त	01 (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, गैर - अनुसूचिवीय	स्तर -13 (123100-215900 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ, पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नतिद्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अप्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी संगठनों या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो:

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष कीनियमित सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:-

अनिवार्य:

(i) मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी या समुद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई से डिप्लोमा;

(ii) मात्स्यिकी विकास, समुद्री या अंतर्देशीय या दोनों के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार संवर्ग के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य- पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण -3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (78800-209200 रुपये) में उपायुक्त (मात्स्यिकी)ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, - अध्यक्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	
3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/1/2020-प्रशासन-I]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2023

G.S.R. 358(E) .—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Fisheries Development Commissioner, Group 'A' Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fisheries Development Commissioner in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Department of Fisheries, Fisheries Development Commissioner (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisheries Development Commissioner.	01 (2023) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial.	level 13 (Rs.123100-215900).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by Deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
<p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Statutory organisations or autonomous organisations or public sector undertakings or recognized universities or recognised research institutes:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; OR (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience.</p> <p>Essential:-</p> <p>(i) Masters Degree in Zoology with specialisation in fisheries or Masters Degree in Fisheries or Marine Biology from a recognised University or Diploma from the Central Institute of Fisheries Education, Bombay;</p> <p>(ii) Ten years' experience in the field of fisheries development, marine or inland or both.</p> <p>Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.</p> <p>Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Promotion:</p> <p>Deputy Commissioner (Fisheries) in level 12 (Rs.78800-209200/-) of pay matrix with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries – Member 3. Joint Secretary (Fisheries), Department of Fisheries - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation (including short term contract) basis.

[F. No. A-12018/1/2020-Admn.I]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.